अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 17/2016-सेवा कर

सा0का0नि0 (अ).-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 05/2015-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2015 के, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा0का0नि0 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 में प्रकाशित हुई थी, के पैरा 2 के उपपैरा (क) के खंड (iii) के उपखंड (2) के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा0सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)

अवर सचिव, भारत सरकार